

मैनिट भोपाल समाचार कतरन

MANIT Bhopal News Clippings



An Initiative By

Central Library

Maulana Azad National Institute of Technology Bhopal

Link Road No 3, Near Kali Mata Mandir

Bhopal, Madhya Pradesh – 462003

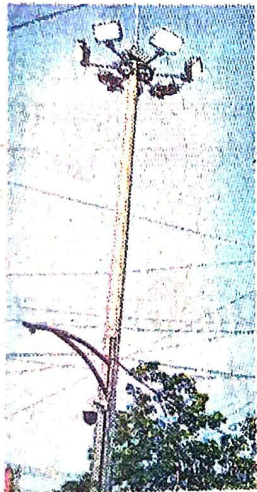
      /CLMANITB

दैनिक भास्कर

Page- DB Star 02

मैनिट चौराहा... दिन में जल नहीं लाइटें, निरीक्षण तक नहीं करते जिम्मेदार

भोपाल • डीबी स्टार। शहर के कई इलाकों में रात के समय अंधेरा पसरा रहता है, क्योंकि खराब स्ट्रीट लाइटों को अब तक ठीक नहीं किया गया है। वहीं, मैनिट चौराहे पर दिन के समय भी स्ट्रीट लाइटें जलती रहती हैं। मैनिट चौराहे के अलावा शहर में ऐसे कई इलाके हैं जहां दिन में भी स्ट्रीट लाइटें जलती रहती हैं। नगर निगम की विद्युत शाखा के कर्मचारी शहर के सभी क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट व्यवस्था का नियमित सुपरविजन नहीं करते। इनकी लापरवाही से निगम पर बेवजह लाखों के अतिरिक्त बिजली बिल का बोझ बढ़ता है। कई बार शिकायत के बाद भी अफसर इस समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं।



पत्रिका

Page – Bhopal Prime

सिटी
न्यूज

मैनिट में सप्लीमेंट्री परीक्षा के आवेदन 6 से

भोपाल. मैनिट में ऑड और ईवन सेमेस्टर के सप्लीमेंट्री परीक्षाओं के आवेदन प्रक्रिया 6 अक्टूबर से शुरू होगी। इसकी आखिरी तारीख 10 अक्टूबर है। यूजी में वर्ष 2021-22 तक दाखिला लेने वाले विद्यार्थी आवेदन कर सकेंगे, जबकि पीजी में वर्ष 2022-23 तक दाखिला लेने वाले विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। लेट फीस के साथ आवेदन 11 से 15 अक्टूबर तक किए जा सकेंगे।



Page – My City 04

मैनित: बयान के बाद प्रॉक्टोरियल बोर्ड करेगा कार्रवाई दशहरे पर सीनियर-जूनियर विवाद, हेल्पलाइन तक पहुंची शिकायत



पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

भोपाल. मौलाना आजाद प्रौद्योगिकी संस्थान (मैनित) में दशहरे के दिन सीनियर और जूनियर विद्यार्थियों के बीच हुआ विवाद अब रैगिंग की शिकायत में बदल गया है। मामले में जूनियर छात्र ने आरोप लगाया है कि उसे सीनियर छात्र ने अकेला में बुलाकर उसके साथ मारपीट की। इसके बाद पीड़ित छात्र ने यूजीसी की एंटी रैगिंग हेल्पलाइन पर शिकायत की।

शिकायत दर्ज होने के बाद हेल्पलाइन ने इस प्रकरण को साधारण श्रेणी में दर्ज किया है। अब मामला मैनित के प्रॉक्टोरियल बोर्ड तक पहुंच गया है, जो कार्रवाई तय करेगा। वहीं प्रबंधन ने दोनों छात्रों के बयान लेने की बात कही है।

यह है मामला

सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के छात्रों के बीच विवाद हुआ है। प्रबंधन का कहना है कि प्रारंभिक जानकारी के आधार पर इसे सीधे रैगिंग की घटना नहीं कहा जा सकता। यह छात्रों के बीच आपसी विवाद और मारपीट का मामला लग रहा है। हालांकि, यूजीसी को दी गई शिकायत में स्पष्ट रूप से रैगिंग और प्रताड़ना का जिक्र किया गया है। मामले की जांच के बाद ही यह तय होगा कि संस्थान की ओर से छात्रों पर क्या कार्रवाई की जाएगी। प्रबंधन का कहना है कि मैनित कैम्पस में किसी भी प्रकार की रैगिंग या हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस घटना ने एक बार फिर उच्च शिक्षा संस्थानों में रैगिंग और छात्र उत्पीड़न को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों पर समय रहते सख्त कदम उठाना जरूरी है।